



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18112022-240388
CG-DL-W-18112022-240388

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, नवम्बर 6—नवम्बर 12, 2022, शनिवार/ कार्तिक 15—कार्तिक 21, 1944
No. 41] NEW DELHI, NOVEMBER 6—NOVEMBER 12, 2022, SATURDAY/KARTIKA 15— KARTIKA 21, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 जहां तक प्रैसिंग मैन (माइक्रोसेलुलर रबड़ यूनिट) के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु, प्रैसिंग मैन (माइक्रोसेलुलर रबड़ यूनिट) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, प्रैसिंग मैन (माइक्रो सेलुलर रबड़ यूनिट) [समूह 'ग' पद] भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रेसिंग मैन (माइक्रो सेलुलर रबड़ यूनिट)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर मशीन-प्रचालक (राष्ट्रीय प्रशिक्षु-प्रमाण पत्र के साथ) के क्षेत्र में व्यावसायिक व्यापार प्रमाण पत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था परिषद। (3) मशीन प्रचालक हैसियत के रूप में रबड़ उद्योग से

				अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप, और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	संबंधित अधिमानतः कर्मशाला में एक वर्ष अनुभव। टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी	सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति:	समूह 'ग' विभागीय	लागू नहीं

होता।	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति।	(i) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु) के स्तर-2 में नियमित आधार पर केन्द्रीय सरकार में सदृश पद धारण करते हों साथ ही स्तंभ (7) में उल्लिखित अर्हता रखते हों और मशीन प्रचालक के रूप में रबड़ उद्योग से संबंधित अधिमानतः कर्मशाला में दो वर्ष का अनुभव; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900) के स्तर-1 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो साथ ही स्तंभ (7) में उल्लिखित अर्हता रखते हो और क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर निदेशक - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (आर्थी), - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, (सर्जिकल) - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य।	होता।
-------	--	---	--	---	-------

[फा.सं. ए-12018/21/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th November, 2022

G.S.R. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Pressing Man (Microcellular Rubber Unit), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pressing Man (Micro Cellular Rubber Unit), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Pressing Man (Micro Cellular Rubber Unit) [Group 'C' Post] Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pressing Man (Micro Cellular Rubber Unit).	01*(2022) *subject to variation dependant on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) .	Not applicable.
Age- limit for direct recruits.		Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)		(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years age. Note1: Relaxable for the Government servants upto age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the		(1) Class 10 th pass from a recognized Board. (2) Industrial Training Institute or National Council of Training in Vocational Trades certificate in the field of Fitter or Machine Operator (along with National apprentice certificate) from a Central Government or State Government recognized Institute. (3) One year experience in workshop preferably relating to rubber industry as a machine operator capacity. Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of	Not applicable.	Two years for direct recruitment.

candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 3: In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall, in each case, be the last date up to which the employment exchange asked to submit the names.	candidates otherwise well qualified. Note: 2. The qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.		
---	---	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which, promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment failing which by deputation.	Deputation: (a) (i) holding analogous posts in any Central Government institute on regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with the qualification mentioned in the column (7) and two years experience in workshop preferably relating to rubber industry as a machine operator or equivalent capacity; or (ii) holding analogous posts in any Central Government institute on regular basis in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with the qualification mentioned in the column (7) and five years experience in the field. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation or transfer shall be not exceeding fifty-six years as on	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Director -Chairman; 2. Deputy Director (Orthopedic - Member; 3. Assistant Director (Surgical) - Member; 4. Administrative Officer - Member.	Not applicable.

	the closing date of receipt of applications. Note 3: The official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
--	--	--	--

[F. No. A-12018/21/2019-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHAYAY, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**(मत्स्यपालन विभाग)**

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुतक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता (सिविल) सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) और उपनिदेशक (सिविल इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2016 को जहाँ तक उनका संबंध सहायक अभियंता (सिविल) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलुरु सहायक इंजीनियर (सिविल) (समूह 'ख') भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हता आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं -** वह व्यक्ति -

I. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

II. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद-संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक इंजीनियर (सिविल)	02* (2022) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'ख' ।	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.)	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	आयु: लागू नहीं होता । शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 6 (35,400 - 1,12,400 रु.) में ऐसे कनिष्ठ इंजिनियर जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तटवर्ती इंजीनियरी या संरचना या भू-क्षरण और संरक्षण में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलुरु - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय - सदस्य; 3. उपनिदेशक (सिविल इंजीनियरी), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलुरु - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

उन्होंने अपनी ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

[फा.सं. 4-14/2016-प्रशा.व]

उमेश शंकर प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department Of Fisheries)**

New Delhi, the 4th November, 2022

G.S.R. 163.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru Junior Engineer (Civil), Assistant Engineer (Civil), Assistant Director (Civil Engineering) and Deputy Director (Civil Engineering) Recruitment Rules, 2016, in so far as they relates to the post of Assistant Engineer (Civil) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru, Assistant Engineer (Civil) (Group `B`) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No Person, -

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Schedules Tribes, other Backward classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Engineer (Civil).	02* (2022) *subject to variation	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group	Level -7 (Rs. 44,900-1,42,400).	Selection Post.	Not applicable.

dependent on workload.	B`.			
------------------------	-----	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Age: Not applicable. Edu. Qual: Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
By promotion: Junior Engineer in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed training in Coastal Engineering or structures or erosion and protection work from a recognised institute. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru - Chairman; 2. Under Secretary (Administration), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying – Member; 3. Deputy Director (Civil Engineering), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru– Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 4-14/2016-Admn.V]

UMESH SHANKAR PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES
(India Meteorological Department)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th July, 2022

G.S.R. 164.—In partial modification/inclusion to this Departments Notification of even dated number dated 28.05.2022 published in the part-II, Section-3 and Sub- Section (i) of Gazette of India Ordinary, the Column-12 and Column -13 of Staff Car Driver (Ordinary Grade) may be read as under:

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment. (13)
Group C Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of: (1) Scientist E, India Meteorological Department.- Chairman;	Not applicable.

(2) Scientist C or Scientist D or Group A Officer equivalent to Scientist C - Member; and
(3) One Group B Gazetted Officer from the department (India Meteorological Department) - Member.

[F. No. A-12035/2/09-E (3) (RR)(Driver)/SFS]
V.K. SONI, Dy. Director General (Administration)

जनजातीय कार्य मंत्रालय
(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग', मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन - (1) इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले नियमित आधार पर मल्टी-टास्किंग स्टाफ का पद धारण करने वाले कर्मियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले ग्रेड में ऊपर निर्दिष्ट पदधारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायीकरण और सेवा में पेंशन के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर (लेवल) - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और तत्संबंधी संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं (योग्यताएं) और उससे संबंधित अन्य मामले वे होंगे जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता (अपात्रता) – कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है, ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत अनुज्ञेय है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार (राय) है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति (अपवाद) – इन नियमों में से कोई भी नियम इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम:	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कार्मिक (मल्टी टास्क स्टाफ) (एमटीएस)	29* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनाधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	लेवल-1 (रु. 18000/-- 56900/-)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक की छूट) नोट 1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख डिवीजन लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ये अंतिम तिथि नहीं होगी। नोट 2: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्षा।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो साल।

भर्ती का तरीका - सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता बताएं।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा- नोट: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे लंबी अवधि के लिए दूर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है: (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	लागू नहीं।

धारण करने वाले; तथा (ख) कॉलम 7 के तहत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले नोट 1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
---	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा सकता है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए), की संरचना: - i. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष; ii. अवर सचिव (स्थापना) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य; iii. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य।	लागू नहीं।

[फा.सं. 20025/35/2021-एनसीएसटी]

अरविन्द मुदगल, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
(National commission for Scheduled Tribes)

New Delhi, the 1st November, 2022

G.S.R 165.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff (Group 'C' post) in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Multi-Tasking Staff (Group C) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution. - (1) The personnel holding the post of Multi-Tasking Staff immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above in the grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

3. Number of posts, classification, level in pay matrix. - The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post.	Age – limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff.	29* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	Between 18 to 27 years of age (Relaxable for Government servants in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
10th class pass or equivalent from a recognised Board.	Not applicable.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment . Note: Vacancy caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled	Not applicable.

on deputation basis from officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily, not exceed three years. Note2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	
---	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of: - (i) Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes -Chairperson (ii) Under Secretary(Establishment), National Commission for Scheduled Tribes- Member (iii) Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes- Member	Not applicable.

[F. No. 20025/35/2021-NCST]

ARVIND MUDGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 166.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में डिस्पैच राइडर (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग', डिस्पैच राइडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2022' कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल) - उक्त पद की संख्या, तत्संबंधी संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ सलग अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं (अर्हताएं) और उससे संबंधित अन्य मामले वे होंगे जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अयोग्यता (अपात्रता) – कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है, ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत अनुज्ञेय है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति (अपवाद) – इन नियमों में से कोई भी नियम इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम:	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिस्पैच राइडर	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनाधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर अनुसूचित	लेवल-2 (रु. 19900-63200/-)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक की छूट) नोट 1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख डिवीजन लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ये अंतिम तिथि नहीं होगी। नोट 2: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामलों में भी लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: (i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्षा के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का कब्जा; (ii) मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्षा चलाने का दो साल का अनुभव। (iii) मोटर साइकिल या ऑटो रिक्षा	लागू नहीं	सीधी भर्ती या पुनर्नियुक्ति के लिए दो वर्ष।

तंत्र का ज्ञान (उम्मीदवार वाहन में छोटी-छोटी खराबियों को हटाने में सक्षम होना चाहिए), (iv) अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने की क्षमता और (v) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। वांछित: होमगार्ड या नागरिक स्वयंसेवक (सिविल वालंटियर्स) के रूप में तीन साल की सेवा। नोट: अनुभव संबंधी अर्हताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या है। उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने की संभावना नहीं है।		
---	--	--

भर्ती का तरीका- सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता बताएं।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनः रोजगार।	प्रतिनियुक्ति / अवशोषण: नियमित मल्टी-टास्किंग स्टाफ समूह ग में से वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -1 (18000-56900 रुपये) में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, जिनके पास कॉलम (7) के तहत निर्धारित योग्यता और अनुभव है, ऐसा न करने पर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित डिस्पैच राइडर या समूह ग के कर्मचारी जो कॉलम (7) के तहत निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए:- प्रतिनियुक्ति या पुनः रोजगार: सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निर्धारित योग्यताएं हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर दिया जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बलों से रिहा होने वाले हैं; उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

	नोट 1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा सकता है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए), की संरचना: - निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष; अवर सचिव (स्थापना) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य; तथा उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य।	लागू नहीं।

[फा. सं. 20025/54/2021/एनसीएसटी]

अरविन्द मुदगल, अवर सचिव

New Delhi, the 1st November, 2022

G.S.R. 166.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider (Group 'C' post) in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -

1.Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, (Despatch Rider) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification, and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3.Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4.Disqualification. — No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age – limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Despatch Rider.	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C non-Gazetted, non-ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note1- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2.- In the case of recruitment made through the Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) possession of valid driving license for motor cycle or autorickshaw; (ii) Two years' experience in driving motorcycle or auto rickshaw. (iii) knowledge of motor cycle or auto rickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle), (iv) Ability to read English and Hindi and (v) 10 th pass from a recognized Board. Desirable: Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. Note : The qualifications regarding experience is relaxable at the	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.

discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
--	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation/absorption, failing which by direct recruitment For Ex-servicemen Deputation or re-employment.	Deputation/ absorption: From amongst the regular Multi-Tasking Staff Group C in pay level-1 (Rs. 18000-56900) of the pay matrix, in the National Commission for Scheduled Tribes who possess the qualification and experience prescribed under column (7), failing which from regular Despatch Rider or Group C employees from other Ministries of the Central Government who possess the qualification and experience prescribed under Column (7). For Ex-servicemen:- Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment: Note 1: The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of:- (i) Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes — Chairman -; (ii) Under Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes – Member-;and (iii) Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes – Member.	Not applicable.

[F. No. 20025/54/2021/NCST]
ARVIND MUDGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 167.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद) की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमों को एतद्वारा बनाते हैं, नामतः :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों को 'जनजातीय कार्य मंत्रालय (स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद)) पर भर्ती नियमावली, 2022' कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन - (1) स्टाफ कार ड्राइवर के पद का पदधारी, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले उक्त पद पर नियुक्त किया गया था, इन नियमों के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा।

(2) इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले क्रमशः ग्रेड में ऊपर निर्दिष्ट कर्मों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टिकरण और सेवा पेंशन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

3. पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल) - उक्त पदों की संख्या, तत्संबंधी संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि - उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

5. निरर्हता - कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के तहत मान्य है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।

6. छूट देने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत छूट दी जा सकती है।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों में से कोई भी इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम:	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर।	क्या चयन पद है या अप्रवरण पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)।	7*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, समूह 'ग, अलिपिकवर्गीय'	लेवल 2 (19900-63200 रुपये)।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामलों में लागू होगी अथवा नहीं।
(6)	(7)	(8)
18-27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी)	अनिवार्य:	लागू नहीं।

निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट) नोट: भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी सब डिवीजन, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लोगों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी)।	i. मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना; ii. मोटर तंत्र (मेकेनिजम) का ज्ञान (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); iii. मोटर कार चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव हो; और iv. 10 वीं कक्षा में उत्तीर्ण। नोट 1- सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दी जा सकती है। नोट 2- अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव के संबंध में अर्हता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
--	--	--

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती या पुनर्नियुक्ति के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900) में नियमित डिस्पैच राइडर और (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मोटर कारों को चलाने (ड्राइव करने) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके न होने पर नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण करने वाले कर्मचारी या केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 1 (18000-56900 रुपये) में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो कॉलम (7) में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन: ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास निर्धारित आवश्यक अनुभव और योग्यताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी, जिस दिन उन्हें सशस्त्र बल से कार्यमुक्त किया जाना है और उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

		नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) - जिसमें निम्न शामिल हैं: i. निदेशक या उप-सचिव प्रशासन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष; ii. अवर सचिव (स्थापना), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग -सदस्य, और iii. उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग -सदस्य।	लागू नहीं।

[फा. सं. 20025/37/2021-एनसीएसटी]

अरविन्द मुदगल, अवर सचिव

New Delhi, the 1st November, 2022

G.S.R. 167.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Group 'C' post) in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Staff Car Driver (Group C) Recruitment Rules, 2022,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution. - (1) The personnel holding the post of Staff Car Driver immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above in the respectively grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

3. Number of Posts, classification and level in pay matrix. - The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc. - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post.	Age – limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver ordinary Grade.	7* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-2 Rs 19900-63200.	Not applicable.	18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh Lahaul and Spiti District and Pangl Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10th standard.	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed .

Note 1: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the scheduled Castes or the scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
---	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment /deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel- Deputation/re-employment.	Deputation or absorption: From amongst the regular Despatch Rider (Group C) and Group C employees in Level -1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in the National Commission for Scheduled Tribes who possess valid driving license for motor cars, on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group C employees in pay level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up-to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - i. Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes-Chairperson	Not applicable.

ii.	Under Secretary (Establishment), National Commission for Scheduled Tribes-Member	
iii.	Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes-Member	

[F. No. 20025/37/2021-NCST]
ARVIND MUDGAL, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 168.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (समूह ग) अनुसूचिवाय पदों के भर्ती नियम, 1979 के अधिक्रमण में, जहां तक वे स्टाफ कार चालक/चालक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मुख्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड, ग्रेड-II, ग्रेड-I और विशेष ग्रेड) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड, ग्रेड-II, ग्रेड-I और विशेष ग्रेड) (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद), भर्ती नियम 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतनमान पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. निरर्हता - कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

कथित पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेता और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद?	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900 रुपये - 63,000 रुपये)	लागू नहीं	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी)। टिप्पण 1 : आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीती जिला तथा चंबा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के	आवश्यक: (i.) मोटर कार के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति रखता हो; (ii.) मोटर सैकेनिज्म की जानकारी (अभ्यर्थी वाहन की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में सक्षम हो); (iii.) मोटर कार चलाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो; (iv.) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। वांछनीय: होम होमगार्ड अथवा सिविल स्वयंसेवी के रूप में 3 वर्ष की सेवा। टिप्पण 1 : अनुभव के संबंध में योग्यता को सक्षम प्राधिकारी के स्व-विवेक से छूट दी जा सकेगी। टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, चयन के किसी भी स्तर पर, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह मत है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभववाले अभ्यर्थी उपलब्ध होना संभव नहीं है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियोजित के लिए दो वर्ष

				लिए अंतिम तारीख) होगी। टिप्पण 2 : यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है, आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।			
--	--	--	--	---	--	--	--

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिक के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-1 (18000-56900 रु) के ग्रेड पे में नियमित आधार पर सवार हरकारा (समूह ग) और नियमित समूह "ग" कर्मचारियों में से जिनके पास मोटरकार चलाने की सक्षमता का आकलन करने के लिए चालक परीक्षण के आधार पर मोटरकार का वैध चालक अनुज्ञप्ति हों, जिसके न होने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-1 (18000-56900 रु) में नियमित समूह "ग" कर्मचारी जो स्तम्भ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा: सशस्त्रबल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास निर्धारित आवश्यक अनुभव और अर्हताएं हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति शर्तों पर रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बलों से मुक्त होने वाले हैं, उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण किए जाने पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष; (ii) अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; (iii) अवर सचिव (बजट और लेखा), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य।	लागू नहीं होता।

	सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद?	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. स्टाफ कार चालक (ग्रेड II)	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा : स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-2 (19900-63200 रुपये) ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सरकार द्वारा निर्दिष्ट, व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं: (i) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; (iii) अवर सचिव (बजट और लेखा), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन में अथवा अचयन पद?	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. स्टाफ कार चालक (ग्रेड I)	6* (2022) *कार्यभार आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', पर अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा : स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये) ग्रेड के लिए जिसमें निम्नलिखित में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ या स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) में 15 वर्ष की संयुक्त सेवा के साथ और (साधारण ग्रेड); और सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यापार परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं: (i) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; (iii) अवर सचिव (बजट और लेखा), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद?	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	1* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-112400 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या आमेलन/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा: स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये) ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; (iii) अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए 12018/01/2021-प्रशा.]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 17th October, 2022

G.S.R. 168.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Electricity Authority (Group C) Non-Ministerial posts Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Staff Car Driver/Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II, Grade-I and Special Grade) posts in the Central Electricity Authority headquarter and its subordinate offices, namely:

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Power, Central Electricity Authority, Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II, Grade-I and Special Grade) (Group 'B' and Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, level in the pay matrix. - The number of the posts, its classification and pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Ordinary grade).	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs.19,900-Rs. 63,200) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case for promotes.	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 25 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central	Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed

Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, union territory of Ladakh, Lahual and Spiti District and Pangri sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep). Note 2: If the direct recruitment is to be made by direct open Competitive Examination, the age-limit would be 18 to 27 years.	(iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in Tenth Standard. Desirable: Three years' service as Home guard or Civil volunteers. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
--	--	--	--

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or absorption/ deputation is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	By deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in pay level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in the Central Electricity Authority, Ministry of Power who possess valid driving license for Motor cars on basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch rider on regular basis or regular Group 'C' employees in pay level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). By deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (i) Director (Administration), Central Electricity Authority – Chairperson; (ii) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority – Member; (iii) Under Secretary (Budget & Accounts), Central Electricity Authority – Member.	Not Applicable.

	period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case for promotes.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Staff Car Driver (Grade II).	2* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix.	Non-Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or absorption/deputation is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	By promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in pay level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years regular service in the grade and have passed the trade	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i) Director (Administration), Central Electricity Authority –	Not Applicable.

	test, specified by the Government.	Chairperson; (ii) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority – Member; (iii) Under Secretary (Budget & Accounts), Central Electricity Authority – Member.	
--	------------------------------------	---	--

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case for promotes.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Staff Car Driver (Grade-I).	6* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix.	Non-Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or absorption/ deputation is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	By promotion: Staff Car Driver (Grade – II) in Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade-II) and (ordinary grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consist of: (i) Director (Administration), Central Electricity Authority – Chairperson; (ii) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority – Member; (iii) Under Secretary (Budget & Accounts), Central Electricity Authority – Member.	Not Applicable.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case for promotes.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Staff Car Driver (Special Grade).	1* (2022) *Subject variation dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Non Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By promotion	By promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with three years regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i) Secretary Central Electricity Authority – Chairperson; (ii) Director (Administration), Central Electricity Authority - Member; (iii) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority - Member.	Not Applicable.

[F. No. A. 12018/01/2021-Adm.I]

SANJAY KUMAR, Under Secy.